



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 7, 2005/आश्विन 15, 1927

No. 427]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2005/ASVINA 15, 1927

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2005

सा.का.नि. 627(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के भाग VII के नियम 68क के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित औषधियों के विनिर्माण, विक्रय या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय अनुज्ञप्ति अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा वितरण के लिए अनुज्ञप्त किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट करती है; अर्थात् :—

- (i) हृदयीय स्टेंट
- (ii) औषधि क्षालित स्टेंट
- (iii) नाल शलाका
- (iv) अंतः रक्षित लेंस
- (v) अन्तः शिरा प्रवेशिनी
- (vi) अस्थि सीमेंट
- (vii) हृदय कमटिका
- (viii) शिरोबल्क शिरा सैट
- (ix) अस्थि संबंधी रोप
- (x) अन्तर कृत्रिमांग प्रतिस्थापन

[फा. सं. 11014/2/2005-डीएमएस एंड पीएफए]

रीता तेवतिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND
FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2005

G.S.R. 627(E).—In pursuance of provisions of sub-rule (1) of rule 68A of Part VII of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, the Central Government hereby specifies the following drugs to be licensed for manufacture, for sale or distribution by the Central Licence Approving Authority appointed by the Central Government, namely :—

- (i) Cardiac Stents
- (ii) Drug Eluting Stents
- (iii) Catheters
- (iv) Intra Ocular Lenses
- (v) I. V. Cannulae
- (vi) Bone Cements
- (vii) Heart Valves
- (viii) Scalp Vein Set
- (ix) Orthopaedic Implants
- (x) Internal Prosthetic replacements.

[F. No. 11014/2/2005-DMS & PFA]

RITA TEAOTIA, Jt. Secy.